याचिका क्र. 101/05

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

मे. अक्षयोम इण्डस्ट्रीज, नारायण रोड, महिदपुर — आवेदक
प्रोप्रा. श्रीमति शकुन्तला पति रमेशचन्द्र पोरवाल
निवासी गांधी मार्ग, महिदपुर जिला – उज्जैन म.प्र

विरूद्ध

1. सहायक यंत्री म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल., महिदपुर
2. कार्यपालन यंत्री (संचालन एवं संधारण)
   म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल., महिदपुर — अनावेदक
3. अधीक्षण यंत्री वृत्त उज्जैन म.प्र. राज्य वि. म. मक्सी रोड़, उज्जैन
4. सी.एम.डी. म.प्र. प.क्षे.वि.वि.कं.लि. पोलो ग्राउण्ड, इन्दौर
5. सचिव, म.प्र. रा. वि.म., रामपुर, जबलपुर.

: आदेश :

(दिनाँक 13 दिसम्बर, 2005 को पारित)

विषय : याचिका क्रमांक 101/2005 द्वारा मेसर्स अक्षयोम इण्डस्ट्रीज, महिदपुर ।

याचिकाकर्ता के एडव्होकेट उपस्थित ।

मे. अक्षयोम इण्डस्ट्रीज, महिदपुर की ओर से श्री मती शकुंतला द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के स्थानीय अधिकारियों द्वारा सभी विभागीय औपचारिकताओं की पूर्ति करने के पश्चात भी समय पर सीजनल विद्युत कनेक्शन नहीं देने के संबंध में यह याचिका दिनांक 5.9.2005 को प्रस्तुत की गई है ।

2. याचिकाकर्ता द्वारा याचिका के संबंध में बतलाया गया कि व्यवहार न्यायाधीन प्रथम श्रेणी के आदेश दिनांक 23.8.2005 के परिप्रेक्ष्य में विवाद के निराकरण हेतु यह याचिका प्रस्तुत की गई है । याचिकाकर्ता के अनुसार उसके महिदपुर जिला उज्जैन में अक्षयोम इण्डस्ट्रीज के नाम से बर्फ उद्योग है जिसकी वह स्वयं मालिक है । इस उद्योग हेतु आवेदिक ने 25 हार्सपावर के सीजनल विद्युत कनेक्शन हेतु सहायक यंत्री, महिदपुर को दिनांक 3.7.2000 को आवेदन किया था । उक्त कनेक्शन के लिये आवेदिका द्वारा सहायक यंत्री के मौखिक कहने पर रू. 25000/– दिये । किन्तु आवेदिका को कोई रसीद नहीं दी गई । बाद में जानकारी मिली कि 25000/– में से 21,855/– जमा किये गये और शेष राशि रू. 3,145/– वापिस नहीं किये गये । लाईन का काम पूर्ण होने पर आवेदिका द्वारा टैस्ट रिपोर्ट दिनांक 28.2.2001 को सहायक यंत्री के कार्यालय में जमा करा दी थी, किन्तु उसके बाद भी संबंधित अधिकारियों द्वारा गैर जिम्मेदारानापूर्ण रवैया अपनाकर सीजनल विद्युत कनेक्शन बर्फ उद्योग हेतु नहीं दिया गया जिससे आवेदिका को अपरिमीत आर्थिक क्षति एवं मानसिक कष्ट हुआ ।

2. सुनवाई के दौरान याचिककर्ता द्वारा यह भी बताया गया कि बिना कनेक्शन के आवेदिका को रू. 41,851/– का जनवरी 2002 में बिल भुगतान हेतु मण्डल द्वारा दिया गया । कारण यह बताया गया कि निर्धारित 90 दिवस की अवधि में टैस्ट रिपोर्ट नहीं देने के कारण न्यूनतम बिलिंग का भुगतान करने हेतु बिल दिया गया, जबकि उसके द्वारा दिनांक 9.3.2001 को दी टैस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी । इसके बाद दिनांक 9.3.2002 को आवेदिका के बफ उद्योग का प्रथम बार विद्युत प्रवाह किया गया किन्तु विद्युत संयोजन के पूर्व की अवधि का रू. 41,851/–, 47763/– एवं 54506/– के बिल भुगतान हेतु दिये गये। जबकि उक्त अवधि में विद्युत संयोजन मण्डल द्वारा किया ही नहीं गया था तथा आवेदिका द्वारा पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण कर दी गई थी । आवेदिका द्वारा मण्डल के वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत की गई तथा आवेदिका को न्यायोचित जांच का आश्वासन भी दिया गया । आवेदिका द्वारा 9.3.2002 को मण्डल के कार्यालय में अण्डर प्रोटेस्ट की राशि जमा करा दी गई । याचिकाकर्ता द्वारा यह भी बताया गया कि बिल में संबंद्ध भार 30 हार्स पावर दिया गया है जबकि अनुबंध 25 हार्सपावर किया गया । बाद में रू. 5000/– और जमा कराये गये तब कुल रू. 22000/– मण्डल के पास जमा हो गये, इसके पश्चात दिनांक 8.5. 2002 को पुनः अनकेक्टिंग समयावधि की बकाया राशि जोड़कर रू. 99099/– जमा करने के लिये बाध्य किया गया । दिनांक 29.5.2002 को आईस फैक्ट्री का विद्युत प्रवाह कथित विद्युत बिलों की अदायगी न किये जाने के कारण बिना पूर्व सूचना के विच्छेद कर दिया गया । जबकि उक्त अवैद्य गणना की गई अवधि के बिलों का भुगतान दिनांक 23.5.2002 को कर दिया गया और पदैन तहसीलदार द्वारा बार–बार उक्त राशि वसूली हेतु आर.आर.सी. जारी की जा रही है । आवेदिका द्वारा अधीक्षण यंत्री उज्जैन को भी शिकायत की गई किन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । अनुबंध की अवधि जनवरी, 2003 में समाप्त हो गई। आवेदिका द्वारा दिनांक 4.2.2003 को सिविल न्यायालय महिदपुर में न्याय प्राप्ति हेतु प्रकरण दायर किया गया । याचिकाकर्ता द्वारा आयोग के समक्ष यह भी स्पष्ट किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा निर्णय में कहा गया कि सिविल न्यायालय को ऐसे प्रकार का निराकरण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है । न्यायालय के निर्णय के अनुसार विद्युत सुधार अधिनियम 39(1) ख व 2 के तहत आयोग मध्यस्थ के रूप में युक्तियुक्त न्याय कर विवाद का अंतिम निपटारा कर अंतिम आदेश जारी कर सकेगा । इस कारण माननीय आयोग के समक्ष यह याचिका प्रस्तुत की गई ।

अतः याचिकाकर्ता द्वारा उपर्युक्त याचिका के माध्यम से आयोग के समक्ष न्याय हित में उचित आदेश पारित करने तथा दिनांक 29.5.2002 से आवेदक की ओर से विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किये जाने को अवैद्य घोषित किया जाकर आवेदिका को पुनः सीजनल विद्युत कनेक्शन देने हेतु मण्डल को निर्देशित किये जाने हेतु आयोग से निवेदन है ।

3. इस संबंध में आज आयोग द्वारा याचिकाकर्ता को श्रवण किया गया । आयोग का अभिमत है कि मण्डल द्वारा जारी किये गये बिल यदि गलत है तो इस प्रकार के प्रकरण के निराकरण हेतु उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम कार्यरत हैं, जहाँ इस प्रकार के प्रकरणों का निराकरण किया जाता है । तद्नुसार

कार्यवाही करने हेतु याचिकाकर्ता को निर्देशित किया जाता है । इसके पश्चात फोरम के आदेश के विरूद्ध लोकपाल के समक्ष अपील की जा सकेगी ।

उपयुक्त संबंध में आयोग के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा पुनः निवेदन किया कि महोदय यदि यह प्रकरण आपकी ओर से उपभोक्ता फोरम को स्थानांतरित कर दिया जाए तो उचित होगा । तद्नुसार आयोग द्वारा संबंधित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम को याचिकाकर्ता की सुनवाई कर उचित आदेश शीघ्र देने हेतु निर्देशित किया जाता है । उपरोक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

उपरोक्तानुसार आदेश पारित ।

हस्ता/–	**हस्ता/–**	**हस्ता/–**
(आर. नटराजन)	**(डी. रायबर्धन)**	**(पी.के. मेहरोत्रा)**
सदस्य (इकॉनामिक)	**सदस्य (अभि.)**	**अध्यक्ष.**